# इकाई 12 हिन्दी से अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद

**इकाई की रूपरेखा**


12.0 उद्देश्य

12.1 प्रस्तावना

12.2 भारतीय भाषाओं का सामाजिक स्वरूप

- 12.2.1 भारतीय समाज में बहुभाषिकता
- 12.2.2 भारतीय जीवन में बहुभाषिकता
- 12.2.3 सम्पर्क भाषा

12.3 बहुभाषिक समाज में अनुवाद की अनिवार्यता

12.4 बहुभाषिक समाज में अनुवाद के क्षेत्र

- 12.4.1 दैनिक जीवन व्यवहार में
- 12.4.2 प्रशासनिक कामकाज में
- 12.4.3 व्यापार-वाणिज्य के क्षेत्र में
- 12.4.4 विज्ञापन के क्षेत्र में
- 12.4.5 शिक्षा के क्षेत्र में
- 12.4.6 पर्यटन
- 12.4.7 सांस्कृति क्रियाकलाप
- 12.4.8 साहित्य के क्षेत्र में
- 12.4.9 जन संचार के क्षेत्र में
- 12.4.10 ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में

12.5 हिंदी से अन्य भारतीय भाषाओं में साहित्यिक अनुवाद

12.6 हिंदी से अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद की आसानी और मुश्किलें

12.7 सारांश

12.8 अभ्यास के लिए प्रश्न

12.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें


## 12.0 उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप :

- भारतीय भाषाओं के सामाजिक स्वरूप की व्याख्या कर सकेंगे;
- बहुभाषिक समाज में अनुवाद की जरूरत बता सकेंगे;
- बहुभाषिक समाज में अनुवाद के क्षेत्रों को चिन्हित कर सकेंगे;
- हिंदी से अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद की आवश्यकताओं को रेखांकित कर सकेंगे; और
- हिंदी से अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद की मुश्किलों को समझ सकेंगे।

## 12.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई में आप भारतीय साहित्य की अवधारणा और अनुवाद के महत्व, आवश्यकता और इसकी प्रक्रिया के बारे में पढ़ और समझ चुके हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है उनका आपस में कहीं न कहीं संबंध जुड़ता है। शैक्षिक, व्यावसायिक, प्रशासनिक और सामान्य कामकाज में इन भाषाओं को एक दूसरे की मदद लेनी पड़ती है। आपको भी अपनी मातृभाषा के अलावा पड़ोसी भाषाओं या राजभाषा की सहायता लेनी ही पड़ती होगी। ऐसे में आप क्या करते हैं?

जाहिर है, अनुवाद की मदद लेते हैं।

हमारे देश में हिंदी भाषा का दायरा काफी बड़ा है। इसे बोलने-समझने, इसमें कामकाज करने वालों की संख्या काफी बड़ी है। इसलिए हिंदी का सबसे अधिक प्रयोग होता है। संसद की कार्यवाही से लेकर स्थानीय निकायों और प्रशासन-तंत्र के कामकाज और फैसलों में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखा जा सकता है। इसलिए गैर-हिंदी भाषी लोगों के लिए भी हिंदी से अपनी भाषा में अनुवाद पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि हिंदी से दूसरी भारतीय भाषाओं में अनुवाद का काफी महत्व है।

इस इकाई में हम हिंदी से दूसरी भारतीय भाषाओं में अनुवाद के महत्व, उसकी उपयोगिता और इसमें आने वाली कठिनाइयों आदि के बारे में पढ़ेंगे।

## 12.2 भारतीय भाषाओं का सामाजिक स्वरूप

आप रवींद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, शरतचंद्र, सुब्रमण्यम भारती, तुकाराम, नरसी मेहता वगैरह की रचनाओं से परिचित होंगे। आपने इन्हें किस भाषा में पढ़ा-जाना? जाहिर है, अपनी भाषा में। आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इनमें से कुछ की रचनाओं को सीधे मूल भाषा में पढ़-समझ सकते होंगे। लेकिन ज्यादातर लोगों ने इन्हें अपनी भाषा में पढ़ा होगा।

इन्हें पढ़ते हुए आपने क्या महसूस किया? क्या ऐसा लगा कि ये आपके समाज से अलग दुनिया की बातें कहते-लिखते हैं? नहीं न। ऐसा इसलिए कि हमारे देश में अनेक भाषाएं और बोलियां जरूर चलन में हैं, मगर सबकी सामाजिक-सांस्कृतिक बनावट कहीं न कहीं मिलती-जुलती है। हर समाज में शादी-विवाह, होली-दीवाली, मेले-ठेले, हाट-बाजार का स्वरूप एक-सा है। खानपान में विविधता जरूर है, मगर खेती-किसानी का स्वरूप और वातावरण एक-सा है। इसलिए हर भाषा-बोली में एक-से मुहावरे लोकोक्तियां, लोकगीत, मान्यताएं प्रचलित हैं।

एक बात और है। हमारे देश में जो भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें से ज्यादातर का उद्‌गम एक ही भाषा से हुआ है संस्कृत से। जिन भाषाओं-बोलियों का स्रोत संस्कृत नहीं है उनमें भी दूसरी भाषाओं से निकटता की वजह से बहुत सारे शब्द, मुहावरे वगैरह उनमें गए हैं। इसलिए थोड़े से हेर-फेर के साथ बहुत सारे शब्द हर भाषा में मिल जाएंगे। कुछ शब्दों का अर्थ-परिवर्तन जरूर देखने को मिलता है, मगर उन्हें समझने में मुश्किल नहीं आती। इस अर्थ में भारतीय भाषाओं का सामाजिक स्वरूप लगभग एक-सा है।

### 12.2.1 भारतीय समाज में बहुभाषिकता

भारत में प्राचीन काल से भाषागत विविधता रही है। जिस समय साहित्य की भाषा संस्कृत हुआ करती थी उस वक्त भी उसमें लोक में व्यवहार होने वाली प्राकृत आदि भाषाओं का मेल सहजता से होता था। आज हमारे यहां चौबीस प्रमुख भाषाएं हैं, जिनका समृद्ध साहित्य है। इनमें से ज्यादातर का जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में व्यवहार होता है। इनके जरिए शिक्षा का प्रावधान है। आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर हर प्रांत में बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान है। ऐसे में, प्रांतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों का निर्माण और प्रकाशन भी होता है।

भारतीय समाज में चार प्रमुख भाषा-परिवार की भाषाएं बोली-लिखी जाती है। आस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी-तिब्बती और भारोपीय परिवार की। कोल, मुंडा और संथाली भाषाएं आस्ट्रिक परिवार की हैं, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम

द्रविड़ भाषा परिवार की हैं। मिर्जा और मणिपुरी चीनी-तिब्बती परिवार की भाषाएं हैं। इसके अलावा भारोपीय भाषा-परिवार की है। मिर्जा और मणिपुरी चीनी-तिब्बती परिवार की भाषाएं हैं। इनमें से हिंदी का प्रसार लगभग हर भाषा-क्षेत्र में हैं। पंजाबी, राजस्थानी, मराठी, बांग्ला, ओडिया वगैरह बोलने वाले भी हिंदी सहजता से बोल-समझ लेते हैं। यहां तक कि दक्षिण की भाषाएं बोलने वालों के लिए भी हिंदी का व्यवहार मुश्किल नहीं है। ज्यादातर प्रांतों से प्राथमिक स्तर की शिक्षा में हिंदी की पढ़ाई अनिवार्य होने से भी हिंदी का प्रसार सहजता से हुआ है।

लेकिन देखें कि हिंदी में भी भोजपुरी, अवधी, ब्रज, मैथिली, मगही जैसी बोलियों का समावेश है। इन बोलियों का भी अपना समृद्ध साहित्य है। बल्कि भोजपुरी, मैथिली जैसी बोलियों के अलग से पाठ्यक्रम भी कई विश्वविद्यालयों में हैं।

हालांकि हमारे देश में प्रांतों का बंटवारा भाषाओं के आधार पर किया गया है। मगर ऐसा नहीं है कि एक प्रांत की भाषा बोलने वाला दूसरे प्रांत की भाषा को पराया समझता हो। एक दूसरे से मेल-जोल, व्यापार, रिश्ते-नाते वगैरह के चलते भाषा-परंपराएं एक दूसरे के साथ सहज ही घुलती-मिलती गई हैं।

### 12.2.2 भारतीय जीवन में बहुभाषिकता

जैसाकि आप जानते हैं, हर भारतीय नागरिक को किसी भी प्रांत में जाकर रोजगार करने और बस जाने का संवैधानिक अधिकार है। इसके चलते एक भाषा-प्रांत के लोग दूसरे भाषा प्रांतों में जाकर नौकरियां करते, व्यवसाय चलाते और वहीं बस जाते हैं। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि के बहुत सारे लोग मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरू, अहमदाबाद, सूरत जैसे बड़े व्यावसायिक नगरों में इसलिए जाकर बस गए हैं कि वहां रोजगार के अवसर अधिक हैं। इसी प्रकार केंद्र सरकार की स्थानांतरण वाली नौकरियों या राज्य सरकारों की नौकरियों में दूसरे प्रांतों के लोगों को भी मौका मिलने की वजह से बहुत सारे लोग दूसरे भाषा-प्रांतों में जाकर रहने लगते हैं।

इस तरह दूसरे भाषा-प्रांत में जाकर रहने की वजह से न सिर्फ भिन्न भाषा-प्रांतों से आए लोगों की भाषा पर असर पड़ता है, बल्कि वे भी वहां के लोगों की भाषा-बोली को प्रभावित करते हैं। दिल्ली की बोलचाल की भाषा में पंजाबी, हरियाणवी, भोजपुरी, मैथिली आदि भाषाओं के शब्द और लहजे घुल-मिल कर एक नई हिंदी का रूप ले चुके हैं। बिहार से आए मजदूरों को यहां की पंजाबी और हरियाणवी मिश्रित हिंदी धड़ल्ले से बोलते सुना जा सकता है। बंदा, पंगा, मेरे को, तेरे को, मैंने जाना है, तूने क्या करना है, कोई नहीं जैसे पद आम हैं। जैसे वाक्य-मैंने बोला था तेरे को कि मैंने तेरा काम देखना है। स्टेशन पर किसी बंदे को मेरे को लेने भेज देना, इसके उदाहरण है। इसके अलावा यहां की नई पीढ़ी में पुरानी दिल्ली इलाके में बोली जाने वाली भाषा का चलन भी इधर कुछ बढ़ा है, अइये, जइयो, देख लियो।

इसी तरह पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुडी इलाके में भोजपुरी, मैथिली आदि भाषाभाषियों के बड़ी तादाद में जाकर बस जाने की वजह से वहां एक नई तरह की बांग्ला और हिंदी का विकास हुआ। उसे मधेसिया भाषा कहा जाने लगा। कोलकाता में जाकर बसे राजस्थान के मारवाड़ियों और बिहार, उत्तर प्रदेश के लोगों की भाषा बांग्ला के साथ घुल-मिल कर नया रूप ले चुकी है। एक टा, दू टा, तीन की जगह एक ठो, दू ठो, तीन ठो आम चलन में आ चुके हैं। मुंबई में जाकर बसे हिंदी भाषी प्रांतों के लोगों को आमतौर पर मराठी मिश्रित हिंदी बोलते सुना जाता है। उसे मुंबइया हिंदी कहा जाने लगा है। कएला है, गएला है, अपुन अइसाइच करेगा, अपुन को चिंताइच नई है, किसी का एहसान नई मांगता, लफडा नई करने का, लोचा हो गया जैसे वाक्य अक्सर चुनने को मिलते हैं। अब तो मुंबइया फिल्मों में भी इस भाषा ने सहज रूप से प्रवेश कर लिया है। इसी तरह दूसरे भाषा-प्रांतों में वस्तुओं के नामों को उन्हीं नामों से जानना-पहचानना और पुकारना स्वाभाविक है जैसे महाराष्ट्र में आलू को बटाटा, प्याज को कांदा वगैरह।

हैदराबाद में हिंदी का रूप भिन्न है। उसे दक्खिनी हिंदी के नाम से जाना-पहचाना जाता है। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत आदि इलाकों में गुजराती के मेल से हिंदी ने नया स्वरूप ग्रहण किया है। इस प्रकार आप देखें

तो हर व्यावसायिक केंद्र या बड़े शहर में हिंदी ने वहां की भाषा के संपर्क से अलग रूप ले लिया है। और ऐसा नहीं है कि हिंदी के ये नए रूप सिर्फ बोलचाल या सामान्य व्यवहार तक सीमित है। साहित्य में भी उतर रहे हैं। खासकर कथा साहित्य में हिंदी के ये विविध रूप अपनी जगह बना रहे हैं। जहां भी साहित्य में संवाद की गुंजाइश है, वहां इस तरह हिंदी के नए रूपों की जगह स्वाभाविक है।

### 12.2.3 सम्पर्क भाषा

जहां भी कई भाषाएं बोली जाती हैं, वहां संपर्क भाषा की जरूरत स्वाभाविक रूप से पैदा हो जाती है। जैसे दुनिया भर में अंग्रेजी सम्पर्क भाषा का काम करती है। हमारे यहां पहले संस्कृत भाषा थी फिर धीरे-धीरे हिंदी ने उसकी जगह ले ली। कल्पना कीजिए कि जब भारत अलग-अलग रजवाड़ों में बंटा हुआ था, आवागमन के साधन सीमित थे, आज की तरह लोगों का आपस में मिलना-जुलना नहीं हो पाता था, तब युद्ध के लिए अपनी सीमा से बाहर निकलने वाले सिपाहियों और व्यापार के लिए जाने वाले व्यावसायियों को अन्य भाषा-भाषी लोगों से संपर्क बनाने में कितनी मुश्किलें पेश आती रही होंगी। ऐसी स्थिति में वे क्या करते होंगे जब उन्हें किसी भिन्न भाषा बोलने वाले को कुछ बताना या उससे कोई जानकारी हासिल करनी पड़ती होगी। जाहिर है, वे अनुवाद का संहारा या संपर्क भाषा की मदद लेते होंगे।

सम्पर्क भाषा लोगों के बीच अपने आप स्वीकृत हो जाती है। जिस भाषा को अधिक लोग समझ और बोल पाते हैं वह स्वतः संपर्क भाषा का स्थान ग्रहण कर लेती है। जैसे अंग्रेजी को दुनिया के ज्यादातर देशों में बोला, समझा और व्यावसायिक कामकाज में व्यवहृत किया जाता है इसलिए वह दुनिया भर में एक संपर्क भाषा के रूप में काम करने लगी। हमारे यहां भी जो लोग हिंदी नहीं बोल पाते वे अंग्रेजी की मदद से दूसरे भाषा-भाषियों से संपर्क बनाते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संपर्क भाषा का व्यवहार करते समय भी लोग एक तरह से अनुवाद कर रहे होते हैं - अपनी मातृभाषा से संपर्क भाषा में।

## 12.3 बहुभाषिक समाज में अनुवाद की अनिवार्यता

जैसाकि हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जब भी कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा से अलग दूसरी किसी भाषा या संपर्क भाषा का प्रयोग करता है तो वह किसी न किसी रूप में अनुवाद का सहारा ले रहा होता है। जरा उस वक्त की स्थितियों के बारे में सोचिए जब पुराने समय में एक राजा पर हमला करके अपने राज्य का विस्तार करने की कोशिश करता था। तब सेनाएं न सिर्फ एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करती थी, बल्कि एक भाषा क्षेत्र से दूसरे भाषा क्षेत्र में जाती थीं। तब वे लोग अपनी दैनिक जरूरतों के लिए भाषा संबंधित परेशानियां आने पर क्या करते होंगे। स्पष्ट है कि अनुवाद की मदद लेते होंगे। इसी तरह नए राज्य में अपने प्रशासन का विस्तार करने पर राजाओं को ऐसे अधिकारियों की जरूरत पड़ती थी जो दोनों भाषाएं जानते थे। वे भी सामान्य प्रशासनिक कामकाज में अनुवाद की मदद लेते थे।

इसी तरह अक्सर व्यापारियों का अपने भाषा क्षेत्र से दूसरे भाषा क्षेत्र आना-जाना लगा रहता था। जब वे अपने से अलग भाषाभाषी क्षेत्र में जाते थे तो उन्हें वहां की भाषा कामचलाऊ ही सही, सीखनी पड़ती थी। इस तरह वे अपनी मातृभाषा से वहां की भाषा में सतत् रूप से अनुवाद का सहारा लेते थे। आज भी जब कंपनियां विभिन्न भाषाभाषी क्षेत्रों में अपना कारोबार फैलाती हैं तो उन्हें वहां की भाषा का सहारा लेना पड़ता है। जैसे-जैसे कंपनी का कार्यक्षेत्र बढ़ता जाता है, उन्हें अनुवाद की जरूरत बढ़ती जाती है। जो कंपनियां विभिन्न देशों में कारोबार करती हैं उन्हें उतने ही अधिक अनुवाद की जरूरत पड़ती है। हम इसी इकाई में आगे बात करेंगे कि कैसे भारतीय मूल की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हिंदी से दूसरी भाषाओं में अनुवाद की मदद लेनी पड़ती है।

जितनी अधिक भाषाओं का प्रयोग विभिन्न कार्य-व्यवहारों और अनुशासनों में होगा, उतना ही अधिक अनुवाद की जरूरत होगी। न सिर्फ मौखिक स्तर पर बल्कि लिखित रूप में भी। जैसा कि हम ऊपर चर्चा कर आए हैं। हमारे देश में मातृभाषा में पठन-पाठन की जरूरत होने की वजह से पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद, कंपनियों के कामकाज का विस्तार होने की वजह से वस्तुओं के प्रचार प्रसार में काम आने वाली सामग्री का अनुवाद, संसदीय कार्यवाही के दौरान दिए गए भाषणों और फैसलों का अनुवाद आदि सब में लिखित माध्यम का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह विभिन्न देशों के साथ होने वाले व्यापारिक, वाणिज्यिक, राजनयिक करारों में अनुवाद की जरूरत पड़ती है।

तो आइए पहले जान लें कि भारत जैसे बहुभाषिक समाज में अनुवाद के कौन-कौन से प्रमुख क्षेत्र हो सकते हैं और उनमें किस तरह हिंदी से दूसरी भारतीय भाषाओं में अनुवाद की जरूरत पड़ती है।

## 12.4 बहुभाषिक समाज में अनुवाद के क्षेत्र

### 12.4.1 दैनिक जीवन व्यवहार में

एक बहुभाषिक समाज के लोगों को दैनिक जीवन में भाषा के लिखित रूप की अपेक्षा मौखिक रूप से अनुवाद की जरूरत अधिक पड़ती है। आपने देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर देखा होगा कि सवारी ढोने वाले, होटल, रेस्तरां या फुटकर सामान बेचने वाले ग्राहकों से अपनी भाषा के अलावा हिंदी और अंग्रेजी में बात कर लेते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी किसी पहाड़ी दर्शनीय स्थल या किसी धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल पर चले जाइए अगर आप सिर्फ हिंदी बोलते-समझते हैं तो आपका काम चल जाएगा। बल्कि कई बार तो महसूस ही नहीं होगा कि वहां हिंदी के अलावा दूसरी भाषा बोली जाती है।

ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओडीशा के पुरी में या कश्मीर के पहलगाम में दुकान चलाने वाले अपने ग्राहकों से हिंदी में बात करते समय क्या करते होंगे। जाहिर है, वे पहले अपनी भाषा में बोलते होंगे फिर हिंदी में उसका अनुवाद करते होंगे। अनुवाद की प्रक्रिया सतत् चलती रहती है। आप जैसे ही दूसरे भाषा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, मौखिक अनुवाद की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसाकि ऊपर हम बात कर कर आए हैं, प्राचीन काल में जब व्यापारी एक भाषा क्षेत्र से दूसरे भाषा क्षेत्र में जाते थे तो इसी तरह अनुवाद का सहारा लेते थे। अपनी भाषा से दूसरी भाषा में और दूसरी भाषा से अपनी भाषा में।

इस प्रकार लिखित रूप में अनुवाद का चलन शुरू होने के बहुत पहले मौखिक रूप में अनुवाद की प्रक्रिया चली आ रही है।

### 12.4.2 प्रशासनिक कामकाज में

हमारे यहां हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में रोजगार के अवसर प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार है। इसलिए लोग अपने भाषा प्रांत से निकल कर दूसरे भाषा प्रांत में सहजता से नौकरियां प्राप्त कर लेते हैं। खासकर केंद्र सरकार की नौकरियों में तबादले की वजह से लोगों को अक्सर विभिन्न भाषा प्रांतों में जाना पड़ता है। प्रशासनिक सेवाओं के लिए चयनित अधिकारियों को उनके मेरिट के आधार पर कैडर तय किए जाते हैं, इसलिए अक्सर देखा जाता है कि असम के निवासी को कश्मीर के किसी हिस्से में तैनाती मिलती है। इसी तरह तमिलनाडु के किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश या बिहार के किसी जिले में सेवाएं देनी पड़ जाती है। इस तरह अनेक लोगों को अपनी मातृभाषा से अलग ऐसे प्रांत में काम करना पड़ता है, जहां की भाषा वे बिल्कुल नहीं जानते-समझते ।

ऐसे में अधिकारियों या कर्मचारियों पर वहां की भाषा को समझने-जानने और बोलने का स्वाभाविक दबाव बनता है। क्योंकि जब वह उस प्रांत के सामान्य लोगों से मिलता है तो उनसे उनकी भाषा में ही बात करनी पड़ती है। भारतीय भाषाओं के बीच अंग्रेजी सेतु भाषा का काम जरूर करती है, मगर जरूरी नहीं कि हर आदमी इसे बोल या समझ सके। जहां खासकर ग्रामीण जनता के लिए काम करना पड़ता है। जब वह अपने कार्य क्षेत्र के लोगों की भाषा सीखता है तो उसे व्यवहार करते वक्त सह रूप से अनुवाद का सहारा लेता है। यह तो हुई प्रशासनिक क्षेत्र में मौखिक रूप से अनुवाद की प्रक्रिया।

लेकिन कोई दस्तावेज तैयार करते, सरकार को कोई प्रस्ताव भेजने या किसी नियम कायदे के पालन की रूपरेखा तैयार करने, कोई फैसला या नीतिगत मामलों में स्थानीय भाषा से राजभाषा में अनुवाद की जरूरत पड़ती है। जैसाकि आप जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के मुताबिक हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राज्यों की राजभाषा वहां की क्षेत्रीय भाषाएं हैं। इसके साथ ही यह उपबंध रखा गया था कि जब तक पूरे देश में हिन्दी राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं कर लेती, अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में काम करेगी। इसलिए प्रशासनिक कामकाज में मुख्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है। ऐसे में स्थानीय भाषाओं से हिंदी

या अंग्रेजी में या हिंदी से अंग्रेजी या अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद की जरूरत पड़ती है। इसलिए हर सरकारी महकमें और सार्वजनिक उपक्रमों में एक राजभाषा का गठन किया जाता है, जो संस्थान के प्रशासनिक कामकाज, लेखाजोखा, दस्तावेजों आदि का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद करता है।

### 12.4.3 व्यापार-वाणिज्य के क्षेत्र में

जैसाकि हम ऊपर बात कर आए हैं और आप जानते हैं, व्यापार और वाणिज्य का संबंध केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं होता, जहां वे शुरू किए जाते हैं, बल्कि उनमें लगातार विस्तार करते रहना जरूरी होता है। इसलिए जब भी कोई व्यापार एक भाषा क्षेत्र से दूसरे भाषा क्षेत्र में पहुंचता है, उसे स्वाभाविक रूप से अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस तरह दुनिया भर में मिल-कारखाने खुले और विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक-वाणिज्यिक संबंध विकसित होना शुरू हुए उसमें व्यापारिक गतिविधियां बहुत तेजी से विस्तार पाती गई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का चलन बढ़ा। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां न सिर्फ अपना उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने का काम करती हैं, बल्कि बहुत सारे छोटे और मझोले उद्योगों को साथ जोड़ कर उन्हें अपने कारोबार में सहयोगी बना लेती हैं। इस तरह सुई से लेकर हवाई जहाज तक, खाद्य पदार्थों से लेकर दवाओं और सौंदर्य प्रसाधन तक सारी चीजें एक देश से दूसरे देश में खपत होती है। बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हर देश या इलाके के लिए अपनी अलग-अलग इकाइयां और केंद्र स्थापित करती हैं।

ऐसे में हर भाषा क्षेत्र में अपना उत्पाद पहुंचाने के लिए कंपनियों को अपने उत्पाद के बारे में विवरण, सूचनाएं विज्ञापन आदि से लेकर थोक और खुदरा व्यापारियों के साथ होने वाले करार, पत्र-व्यवहार आदि में वहां की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस तरह उन्हें हर कदम पर अनुवाद की जरूरत पड़ती है।

### 12.4.4 विज्ञापन के क्षेत्र में

विज्ञापन व्यापारिक गतिविधियों का अहम् हिस्सा है। अगर कोई कंपनी बाजार में नया उत्पाद लाती है या किसी पुराने उत्पाद में कुछ बदलाव करती है तो इन सबके बारे में उपभोक्ता तक जानकारी पहुंचाने का सबसे सुगम साधन विज्ञापन है। पिछले कुछ दशक में जिस तरह दुनिया भर में संचार माध्यमों का विस्तार हुआ है, उसमें विज्ञापनों के जरिए उपभोक्ता तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है। अब यह जरूरी हो गया है कि कंपनी अपने उत्पाद, योजनाओं आदि के बारे में ग्राहकों को उनकी भाषा में बताएं। इसलिए क्षेत्रीय भाषाओं में भी विज्ञापन तैयार करने का चलन शुरू हुआ है। जो कंपनियां मूलतः फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन आदि की हैं वे भी भारत में व्यापार शुरू करती हैं तो अंग्रेजी हिंदी और दूसरी प्रमुख भारतीय भाषाओं में विज्ञापन तैयार कराती हैं। जाहिर है, ऐसे में विज्ञापनों के अनुवाद की जरूरत पड़ती है। विज्ञापन मूल रूप से किसी एक भाषा में तैयार किया जाता है, फिर दूसरे भाषा क्षेत्रों के लिए उसका अनुवाद किया जाता है।

व्यापारिक इकाइयों के अलावा सरकारें, विभिन्न संस्थाएं, यहां तक कि लोग व्यक्तित्व के हिसाब से भी विज्ञापन प्रकाशित-प्रसारित करवाते हैं। सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने, जन जागरूकता अभियान चलाने, विभिन्न कार्यों में सहयोग की अपील आदि में भी विज्ञापनों की मदद ली जाती है। इसी तरह नौकरियों के विज्ञापन, परीक्षाओं के नतीजें, अदालती नोटिस, निविदाएं आमंत्रित करने आदि के लिए भी विज्ञापनों की मदद ली जाती है। लोग स्वतंत्र रूप से भी जमीन-जायदाद खरीदने-बेचने, शादी-विवाह, कर्मचारी-नौकर आदि के लिए विज्ञापन देते हैं। इनमें भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अधिक से अधिक लोगों तक इन विज्ञापनों की पहुंच सुनिश्चित हो सके। इसलिए आमतौर पर केंद्र सरकार के विज्ञापनों को अनूदित करके सभी भारतीय भाषा क्षेत्रों में पहुंचाने की कोशिश की जाती है।

विज्ञापन मुख्य रूप से दो रूपों में तैयार किए जाते हैं - मुद्रित माध्यम के लिए जैसे अखबार-पत्रिका में छपने वाले विज्ञापन और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लिए यानी रेडियो, टीवी, इंटरनेट आदि पर प्रसारित होने वाले विज्ञापन।

### 12.4.5 शिक्षा के क्षेत्र में

हमारी शिक्षा नीति के मुताबिक हर विद्यार्थी को उसकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का वादा है। इसलिए हर भारतीय भाषा के जरिए पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था है। ऐसे में पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें तैयार करते समय विद्यार्थी को पूरे भारत के सांस्कृतिक वातावरण से परिचित कराने की कोशिश की जाती है। तमाम भारतीय भाषाओं में लिखे साहित्य लेख आदि संकलित कर पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाता है। इस तरह प्राथमिक शिक्षा के स्तर की पुस्तकें तैयार करने के साथ ही अनुवाद की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह निजी स्कूलों का चलन बढ़ा है और उनमें पढ़ाई-लिखाई का माध्यम अंग्रेजी होती गई है, उसमें अनुवाद की जरूरत और बढ़ गई है।

उच्च शिक्षा में तो जैसे अनुवाद एक अनिवार्य तत्व बन चुका है। विभिन्न अनुशासनों की पाठ्य पुस्तकें तैयार करते समय भारतीय भाषाओं, उनमें लिखी-छपी सामग्री, उनके साहित्य आदि को समाहित करने की कोशिश तो होती ही है, पाठ्य पुस्तकों का अनूदित रूप विभिन्न भारतीय भाषाओं में सुलभ कराने का प्रयास होता है। दूरस्थ शिक्षा का चलन बढ़ने से अनुवाद की जरूरत और बढ़ गई है। पाठ्य पुस्तकें किसी एक भाषा में तैयार होती है फिर अनुवाद के माध्यम से दूसरी भाषाओं के विद्यार्थियों को सुलभ कराई जाती है। इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद एक अपरिहार्य घटना बन चुका है।

### 12.4.6 पर्यटन

आज पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्राप्त है। अब पुराने जमाने की तरह लोग सिर्फ धार्मिक स्थलों, तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते। छुट्टियों, शादी-विवाह जैसे विशेष अवसरों या यों भी मनोरंजन के मकसद से विभिन्न दर्शनीय स्थलों पर घूमने-फिरने जाते हैं। इसलिए होटल, परिवहन आदि उद्योगों को भी इससे बल मिलता है। सरकारों को पर्यटन उद्योग से अच्छे राजस्व की कमाई होती है। यही कारण है सरकारें पर्यटन को बढ़ावा देने, इसमें विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने, पर्यटन स्थलों के रखरखाव आदि के लिए अलग से मंत्रालय गठित करती है।

देश और विदेश से लोगों को दर्शनीय स्थलों की तरफ आकर्षित करने के मकसद से विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं, सैलानियों को संबंधित पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारियां उपलब्ध कराई जाती है। ये जानकारियाँ मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए प्रकाशित-प्रसारित की जाती है। इनमें पर्चों, बुलेटिनों, पोस्टरों आदि के अलावा रेडियो, टीवी, इंटरनेट आदि माध्यमों का भी इस्तेमाल होता है। ऐसे में विज्ञापनों की तरह पर्यटन से जुड़ी सामग्री का भी विभिन्न भाषाओं में अनुवाद जरूरी हो जाता है। जैसाकि आप जानते हैं, टूरिस्ट गाइड और पर्यटन उद्योग से जुड़े दूसरे लोग तो हमेशा मौखिक रूप से अनुवाद का सहारा लेते ही है।

### 12.4.7 सांस्कृतिक क्रियाकलाप

जैसा कि हम ऊपर बात कर आए हैं, भारतीय संस्कृति विविध रंगों के फूलों के गुलदस्ता की तरह है। हर भाषा प्रांत की अपनी संस्कृति है, यहां तक कि एक भाषा के भीतर भी कई संस्कृतियां हैं। उदाहरण के लिए हिंदी को ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और काफी हद तक पंजाब हिंदी भाषी प्रांत हैं। मगर उनमें तीज-त्यौहार, शादी-विवाह संबंधी रस्म-रिवाज, नृत्य लोक संगीत आदि के मामले में काफी भिन्नता नजर आती है। लेकिन चूंकि सबकी आंतरिक सांस्कृतिक बनावट को देखा-समझा जा सकता है इसलिए आपस में भिन्न होते हुए भी एक सूत्र से बंधी हुई हैं। यहां तक कि बिल्कुल भिन्न दिखने वाली संस्कृतियां भी भारतीय एक सूत्रता में इस कदर आबद्ध हैं कि इनका अंतःस्रोत एक हो जाता है।

लेकिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों को एक मंच पर प्रस्तुत करते समय अनुवाद की जरूरत पड़ती है। असम का बीहू हो, पश्चिम बंगाल की जात्रा या ओडीशा की ओडीशी, दक्षिण की कथकली हो या मध्य भारत का भरत नाट्यम - अपनी प्रस्तुति में ये भले भावों को सक्षम रूप में प्रस्तुत कर सकते हों, पर अनुवाद की मदद से इनकी संप्रेषणीयता बढ़ जाती है।

### 12.4.8 साहित्य के क्षेत्र में

साहित्य किसी भी समाज का सबसे समृद्ध लिखित वैचारिक-संवेदनात्मक दस्तावेज होता है। बहुभाषिक समाजों में साहित्यिक आदान-प्रदान का सिलसिला अनुवाद के जरिए ही संभव हो पाता है। एक भाषा में लिखी चीजें दूसरी भाषा में अनुवाद के माध्यम से ही जा पाती है। हमारे देश में दो दर्जनों से अधिक भाषाओं में साहित्य रचा जाता है। ऐसे में किसी के लिए भी संभव नहीं है कि वह सभी भाषाओं को जान-समझ सके। इसलिए अनुवाद के जरिए ही सभी भाषाओं के साहित्य को पढ़ना-समझना संभव हो जाता है।

जैसा कि आप जानते हैं, साहित्य दूसरी लिखित सामग्री से इसलिए भिन्न होता है कि इसके जरिए हमारी संवेदना का विकास होता है, इसके जरिए हम अपने देश की सांस्कृतिक अंतरधारा से खुद को जोड़ पाते हैं। इसलिए साहित्यिक कृतियों का अनुवाद एक तरह से देश की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने का काम भी करता है। इसीलिए 1986 की नई शिक्षा नीति में सुझाव दिया गया कि भारतीय भाषाओं के साहित्य के अनुवाद से संबंधित पाठ्यक्रम तैयार किए गए, कई संस्थाएं खुलीं, जो मुख्य रूप से साहित्यिक-सांस्कृतिक कार्यों को अनुवाद के जरिए लोगों तक पहुंचाने का काम करती हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट संविधान में स्वीकृत सभी भारतीय भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करता है।

इस तरह अनुवाद के जरिए एक भाषा में रचनाकार को दूसरे भाषा क्षेत्र में प्रवेश मिलता है, वहां उसकी पहचान बनती है, फिर वह अखिल भारतीय स्तर पर जाना-पहचाना जाता है। आपको ध्यान होगा कि बांग्ला, कन्नड, तेलुगू, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं के रचनाकारों को अखिल भारतीय पहचान तब मिली जब उनकी रचनाएं अनूदित होकर हिंदी में आई।

### 12.4.9 जन संचार के क्षेत्र में

यह जनसंचार माध्यमों का युग है। तमाम सूचनाएं, साहित्य, मनोरंजन की सामग्री संचार माध्यमों के जरिए हम तक पहुंचने लगी है। बहुत सारे पुराने साधन एक तरह से समाप्त हो गए। लोग अपने दूर के रिश्तेदारों, मित्रों, परिजनों को चिट्ठियां लिखा करते थे, जरूरी हुआ तो तार प्रणाली के जरिए संदेश भेजा करते थे। अब मोबाइल, इंटरनेट आदि की सुविधा हो जाने से पलक झपकते सूचनाओं-समाचारों आदि का आदान-प्रदान हो जाता है। उपग्रह प्रणाली के विकास के कारण सूचनाओं के आदान-प्रदान, संग्रह आदि में काफी सहूलियत हो गई है। टेलीविजन और इंटरनेट के जरिए पल-पल की खबरें हमारे सामने हाजिर होती हैं। इंटरनेट पर पुस्तकें, फिल्में, गीत, खेल-खिलौने उपलब्ध हैं। दुनिया भर के तमाम अखबार और पत्रिकाएं हाजिर हैं। हर भाषा में ब्लॉग लिखे-पढ़े जा सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट के जरिए पाठ्य सामग्री, सूचनाएं वगैरह सुगमता से उपलब्ध कराई जाने लगी है। निजी स्कूलों का प्रसार बढ़ने से स्कूली गतिविधियों की सूचनाएं विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान आदि इंटरनेट के जरिए संभव है। स्वास्थ्य, अध्यात्म, खेती-किसानी, बाजार आदि से जुड़ी तमाम जानकारियां संचार माध्यमों के जरिए सहजता से उपलब्ध हैं। यानी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हर सामग्री संचार माध्यम मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं।

ऐसे में संचार माध्यमों में हर भाषा-भाषी तक पहुंचने की होड़ देखी जाती है। मगर जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल आदि संचार माध्यमों की भाषा मुख्य रूप से अंग्रेजी है, हालांकि हर भाषा ने अपनी लिपि के सॉफ्टवेयर तैयार कर लिए हैं, पर हर भाषा-भाषी तक पहुंचने की होड़ ने अनुवाद की जरूरत काफी बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल या असम का कोई आदमी हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए काम करने वाले किसी संचार माध्यम के लिए अपनी भाषा या अंग्रेजी में अपने क्षेत्र की सूचनाएं भेजता है, उसे अनूदित करना पड़ता है। इसी तरह हिंदी क्षेत्र के संवाददाताओं या स्वतंत्र रूप से सूचनाओं का आदान-प्रदान करने वाले लोग करते हैं, तो दूसरे भाषा क्षेत्र के कार्य करने वालों से स्वाभाविक ही अनुवाद में दक्षता अपेक्षित रहती है। संचार माध्यमों में अनुवाद की बढ़ती मांग को देखते हुए अनेक अनुवाद एजेंसियां खुल गई हैं जो ठेके पर या प्रति शब्द के हिसाब से सामग्री का अनुवाद कर संचार माध्यमों को उपलब्ध कराती है।

जन संचार माध्यमों में अखबार, रेडियो-टीवी, इंटरनेट आदि पर मूल सामग्री की प्रस्तुति के अलावा फिल्म निर्माण विज्ञापन आदि के क्षेत्र में भी अनुवाद की जरूरत बढ़ती गई है। देशी-विदेशी फिल्मों को भारतीय और क्षेत्रीय

भाषाओं में प्रस्तुत करना हो या किसी विज्ञापन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रकाशित-प्रसारित करना हो, अनुवाद की मदद लेनी ही पड़ती है।

### 12.4.10 ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में

किसी भी समाज में विकास की प्रक्रिया तभी सुगम और प्रौढ़ हो पाती है जब लोग ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में हो रही गतिविधियों से परिचित हों। चाहे वे कृषि के क्षेत्र में हो रहे शोध और अनुसंधान हों, सामाजिक विकास के उपायों पर चल रहे काम हों, औद्योगिक विकास के साधन-संसाधनों पर चर्चा हो, चिकित्सा विज्ञान, अंतरिक्ष आदि से जुड़े शोध-अनुसंधान हों। लोगों को उनके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो विकास की प्रक्रिया बाधित होगी। ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में चल रही गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध होने से लोग अपने तरीके से विकास के रास्ते तलाशने में सक्षम हो पाते हैं। यह प्रक्रिया सिर्फ अपने देश की सीमा तक सीमित नहीं होती। दूसरे देशों में भी हुए अनुसंधानों, विकसित उपकरणों, विधियों आदि की जानकारी लोगों तक पहुंचनी जरूरी होती है।

आपने खुद महसूस किया होगा कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, चीन आदि देशों में हुए अनुसंधानों की जानकारी मिलने पर आप में उन्हें आजमाने या उसी तरीके से अपने कामकाज को करने-ढालने की ललक पैदा होती है। शोधों और अनुसंधानों के बारे में जानकारी मिलने का एक फायदा यह होता है, कि हमें कामकाज, जीवन-व्यवहार में नई दिशा मिलती है। हम भी वैसा या उससे बेहतर करने को तत्पर होते हैं।

## 12.5 हिंदी से अन्य भारतीय भाषाओं में साहित्यिक अनुवाद

भारत के संदर्भ में संपर्क भाषा होने के नाते हिंदी की कृतियों के अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद को लेकर विशेष कठिनाई नहीं होती। यद्यपि अन्य भारतीय भाषाओं से सीधे हिंदी अनुवाद में कठिनाई भी होती है क्योंकि सभी भाषा-भाषी हिंदी में सफलतापूर्वक अनुवाद में सक्षम हो यह जरूरी नहीं।

प्रमुख हिंदी कृतियों के अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद का एक संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है।

हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध उपन्यास ''बाणभट्ट की आत्मकथा'' का तमिल में अनुवाद एस. शंकराराजू नायडू ने किया। इसी प्रकार विष्णु प्रभाकर के उपन्यास 'अर्द्धनारीश्वर' का तमिल अनुवाद एन. सुन्दरम ने किया। उपन्यासों की बात करें तो राजेन्द्र यादव के उपन्यास 'सारा आकाश' का तमिल अनुवाद मु. ज्ञानम ने किया।

कहानियों में फणीश्वर नाथ रेणु की श्रेष्ठ कहानियों का तमिल अनुवाद एच.बी. सुब्रमण्यम ने तथा जयशंकर प्रसाद के नाटक चन्द्र गुप्त का तमिल अनुवाद आर. षण्णुगसुन्दरम् ने किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा सम्पादित 'कबीर' की रचनाओं का अनुवाद टी. शेषाद्रि ने किया है।

हिंदी से मलयालम में अनुवाद की चर्चा करें तो अमृत लाल नागर के उपन्यास 'अमृत और विष' का अनुवाद सुधांशु चतुर्वेदी, 'मैला आंचल' फणीश्वर नाथ रेणु कृत उपन्यास का एन.एम. सत्यार्थी, रागदरबारी (उपन्यास - लेखक श्री लाल शुक्ल) का अनुवाद के. एन. दामोदरन ने किया। जयशंकर प्रसाद की विश्वविख्यात काव्यकृति 'कामायनी' का मलयालम में अनुवाद श्रीधर मेनन ने किया। यशपाल की रचना 'मेरी तरी उसकी बात' उपन्यास का मलयालम में अनुवाद के.वी. कुमारन ने किया।

हिंदी से तेलुगू अनुवादों में - बाणभट्ट की आत्मकथा (उपन्यास लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी) का अनुवाद तेलुगू में ए.सी. कामाक्षी ने किया। अमृतलाल नागर के उपन्यास 'अमृत और विष' का तेलुगू अनुवाद पी. भावीश्वर राव ने किया। इसी प्रकार निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह 'कव्वे और काला पानी' का तेलुगू अनुवाद भीमसेन निर्मल ने किया। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना 'माटी की मूरतें' का तेलुगू अनवुाद के.एल.आर. शर्मा ने किया।

हिंदी लेखक कन्नड़ अनुवादों में प्रमुख साहित्यिक अनुवाद हैं - पूर्वोक्त 'बाणभट्ट की आत्मकथा' (उपन्यास लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी) का कन्नड़ अ़नुवाद एम.एस. कृष्ण मूर्ति ने किया। सियारामशरण गुप्त के उपन्यास 'नारी' का कन्नड़ अनुवाद पंचावटी सिरेमठ ने किया। जयशंकर प्रसाद के नाटक 'चन्द्रगुप्त' का कन्नड़ अनुवाद आध रंगाचार्य ने किया जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा सम्पादित कबीर की रचनाओं का कन्नड अनुवाद डी.के. बेन्द्रे ने किया।

## 12.6 हिंदी से अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद की आसानी और मुश्किलें

जैसा कि हम शुरू में बात कर चुके हैं, भारतीय भाषाओं का स्वरूप काफी कुछ एक सा है। ज्यादातर भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है और जिनकी नहीं भी हुई है उनमें आपसी साहचर्य के चलते उनकी बनावट में कई तरह से समानता देखी जा सकती है। सामाजिक सांस्कृतिक समानता की वजह से भी बहुत सारे शब्द मुहावरे, लोकोक्तियां आदि थोड़े बदलाव के साथ सभी भाषाओं में उपस्थित है। इस तरह एक भारतीय भाषा से दूसरी भारतीय भाषा में अनुवाद करते वक्त काफी आसानी होती है। मगर कई बार कुछ शब्दों की भाषिक बनावट समान होते हुए भी अलग-अलग भाषाओं में उनके अर्थ बदल जाते हैं। इसलिए उनके प्रयोग में मामूली असावधानी भी अनर्थ कर बैठती है। इसी तरह कई मुहावरों, लोकोक्तियों, मान्यताओं आदि का अनुवाद करते समय सावधानी बरतनी पड़ती है।

हिंदी और भारतीय भाषाओं में अनेक शब्द ऐसे हैं, जो अपनी ध्वनि संरचना में एक से लगते हैं, इसलिए कई अनुवादक स्रोत भाषा के शब्दों को लक्ष्य भाषा में भी जस का तस रख देते हैं। लेकिन दोनों में इसका भिन्न अर्थों में प्रयोग होता है। जैसे पशु शब्द के हिंदी और तमिल में भिन्न अर्थ होते हैं। हिंदी में इसे सभी जानवरों के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन तमिल में सिर्फ गाय के लिए। इसी तरह हिंदी में अतीत भूतकाल के लिए प्रयोग होता है, लेकिन तमिल में बहुत बड़ी किसी चीज के लिए। हिंदी में आंचल शब्द साड़ी के पल्लू के लिए प्रयोग होता है, लेकिन गुजराती में इसका अर्थ स्तन होता है। इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं, जिनका ध्वनि रूप समान है, पर दूसरी भाषा में पहुंचते ही अर्थ बदल जाता है। इस प्रकार आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि किस तरह मामूली असावधानी भी हास्यास्पद अनुवाद का कारण बन सकती है।

ऐसे ही जब लोकोक्तियों और मुहावरों का शब्दशः अनुवाद करने की कोशिश की जाती है, तो कई तरह की गड़बड़ियां पैदा हो जाती हैं। जैसे हिंदी में लोकोक्ति है, कि जहां गुड़ होगा वहां चींटियां होंगी ही। इसे अगर ओडिया में अनुवाद करना हो, तो वहां प्रचलित लोकोक्ति जेहिं पद् तेहिं भ्रमर रखना उपयुक्त होगा। ऐसे ही हिंदी में प्रयुक्त होने वाली हर लोकोक्ति और मुहावरे के समानार्थी लोकोक्ति और मुहावरे दूसरी भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध हैं। अनुवाद करते समय उन्हें तलाशना जरूरी होता है। जो लोग ऐसा न करके शब्दशः अनुवाद का सहारा लेते हैं, उनसे गड़बड़ियां होनी स्वाभाविक हैं।

## 12.7 सारांश

भारत एक बहुभाषिक देश है, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से समानता होने की वजह से यहां की भाषाओं में भी काफी हद तक समानता है।

जहां अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, वहां कोई एक भाषा स्वतः संपर्क भाषा का दर्जा हासिल कर लेती है। भारत में हिंदी मुख्य रूप से संपर्क भाषा का काम करती है।

बहुभाषिक समाजों में अनुवाद की जरूरत हर कदम पर पड़ती है। भारत में भी साहित्यिक आदान-प्रदान, सरकारी कामकाज, व्यापारिक-वाणिज्यिक गतिविधियों, जनसंचार, शिक्षा आदि क्षेत्रों में एक से दूसरी भारतीय भाषा में अनुवाद की जरूरत पड़ती है।

चूंकि भारत में हिंदी का क्षेत्र व्यापक है और संविधान में इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, हिंदी में कामकाज अधिक होता है। जनसंचार माध्यमों, शिक्षा, व्यापार-वाणिज्य, फिल्म, विज्ञापन आदि गतिविधियों में हिंदी का इस्तेमाल अधिक होता है, इसलिए इन सामग्रियों को दूसरी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए अनुवाद की मदद लेनी पड़ती है। इस प्रकार हिंदी से दूसरी भारतीय भाषाओं में अनुवाद का काम अधिक होता है।

भारतीय भाषाओं की प्रकृति समान होने के कारण इनमें आपस में अनुवाद करना जितना आसान होता है, उतना ही शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि में अर्थ भिन्नता होने के कारण सावधानी बरतने की भी जरूरत पड़ती है।

## 12.8 अभ्यास के लिए प्रश्न

1) बहुभाषिक समाजों में अनुवाद की आवश्यकता पर सोदाहरण प्रकाश डालें।

2) भारत जैसे बहुभाषिक देशों में किन-किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से अनुवाद की जरूरत पड़ती है?

3) जनसंचार माध्यमों में अनुवाद की जरूरत किन रूपों में पड़ती है?

4) भारत में हिंदी से दूसरी भाषाओं में अनुवाद की आवश्यकता क्यों सबसे अधिक पड़ती है?

5) राष्ट्रीय एकीकरण में अनुवाद का महत्व बताएं।

## 12.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें


- विश्वनाथ अय्यर, एन.ई., *केरल में हिंदी भाषा और साहित्य का विकास,* वाराणसी, विश्वविद्यालय प्रकाशन।
- विश्वनाथ अय्यर, एन.ई., *अनुवाद भाषाएं-समस्याएं,* वाराणसी, ज्ञान गंगा।
- गुप्त, गार्गी (सं.) *अनुवाद बोध,* दिल्ली, भारतीय अनुवाद परिषद्।
- तिवारी, भोलानाथ एवं किरणबाला, *भारतीय भाषाओं में हिंदी अनुवाद की समस्याएं,* दिल्ली, शब्दकार।
- तिवारी, बालेन्दु शेखर (सं.), *अनुवाद विज्ञान,* नई दिल्ली, प्रकाशन संस्थान।
- भाटिया, कैलाशचंद्र (सं.), *भारतीय भाषाएं और हिंदी अनुवाद समस्या - समाधान,* नई दिल्ली, वाणी प्रकाशन।
- राजूरकर, म.ह. एवं राजकमल बोरा (सं.), *तुलनात्मक अध्ययन भारतीय भाषाएं और साहित्य*, नई दिल्ली, वाणी प्रकाशन।